प्रकाशन हेतु अनुमोदित

समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2964/1991

डॉ. कमलेश मिश्रा

बनाम

गुरु घासी दास विश्वविद्यालय और अन्य

दिनांक 06.02.2006 को निर्णय के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/—
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2964/1991

डॉ. कमलेश मिश्रा, पिता डॉ. ओ.एन. मिश्रा, निवासी बी–38, कांतिनगर, बिलासपुर।

... . याचिकाकर्ता

बनाम

1. गुरु घासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, द्वारा रजिस्ट्रार।
2. कुलाधिपति, गुरु घासी दास विश्वविद्यालय, राजभवन, भोपाल।
2. अनुपमा सिन्हा, पिता मेघनाथ सिन्हा, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, गुरु घासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर।

... . उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिए : श्री रणबीर सिंह मरहास, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्रमांक 1 और 2 के लिए : श्री आशीष श्रीवास्तव अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्रमांक 3 के लिए : श्री राजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अमित वर्मा, अधिवक्ता।

आदेश

(06.02.2006)

न्यायालय का यह आदेश **न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री** द्वारा पारित किया गया।

1. वर्तमान याचिका में उत्तरवादी क्रमांक–3 के नियुक्ति आदेश को निरस्त करने तथा उत्तरवादी क्रमांक–1 को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह याचिकाकर्ता को विज्ञापन दिनांक 15 मई, 1986 (अनुलग्नक–पी/5) के अनुसार नियुक्ति प्रदान करें।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक–3 और अन्य के साथ मिलकर उत्तरवादी क्रमांक–1 विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए 15 मई, 1986 के विज्ञापन (अनुलग्नक–पी/5) के अनुसार आवेदन किया था। उत्तरवादी क्रमांक–3 को 15 मई, 1986 के उक्त विज्ञापन में निर्धारित अपेक्षित योग्यता के बिना नियुक्ति के लिए चुना गया था। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता के पास राजनीति विज्ञान में पी.एच.डी. की उपाधि है और उत्तरवादी क्रमांक–3 के पास उक्त योग्यता संबंधी कोई उपाधि नहीं है। यह भी कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता योग्यता में बहुत श्रेष्ठ है और उसके पास शिक्षण का अनुभव भी है, इसलिए उत्तरवादी क्रमांक–3 की नियुक्ति अवैध, अनियमित और भेदभावपूर्ण थी। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक–3 के पक्ष में पारित नियुक्ति आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादी क्रमांक–3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र तिवारी सहित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित वर्मा ने तर्क किया कि संबंधित विज्ञापन दिनांक 15 मई 1986 का नहीं बल्कि दिनांक 08.02.1988 (अनुलग्नक–आर–3/1) का था, जिसके अनुसार आवेदन किए गए और उचित चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद चयन समिति द्वारा उत्तरवादी क्रमांक–3 को नियुक्त किया गया। उत्तरवादी क्रमांक–3 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि, मेहरोत्रा समिति के आधार पर नए संशोधित वेतनमान का समावेशन किया गया था, जिसे भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य और उत्तरवादी विश्वविद्यालय सहित सभी राज्य सरकारों ने स्वीकार किया था के अनुसार, रुपये 2200–4000 के वेतनमान में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और समकक्ष उपाधि और उत्कृष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि था। वर्तमान मामलें में, राजनीति विज्ञान विषय के व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के समय न ही याचिकर्ता न ही उत्तरवादी क्रमांक 3 के पास डॉक्टरेट की उपाधि थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 07.03.1988 थी और याचिकाकर्ता ने 28.06.1988 को पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की और उत्तरवादी क्रमांक–3 ने दिनांक 22.9.1988 को एम.फिल की उपाधि प्राप्त की।

4. उत्तरवादी क्रमांक–3 के विद्वान अधिवक्ता ने व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, मणिपुर विश्वविद्यालय कांचीपुर, इंफाल आदि के विज्ञापनों (अनुलग्नक– आर–3/26) का उल्लेख किया है। सभी विश्वविद्यालयों ने व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यता को अपनाया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, 'व्याख्याता' की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता" कम से कम 55% अंकों के साथ निरंतर उत्कृष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समकक्ष श्रेणी है और उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जो एम.फिल/पी.एच.डी. हैं।" इसलिए यह स्थापित होता है कि न्यूनतम योग्यता कम से कम 55% अंकों के साथ निरंतर उत्कृष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समकक्ष श्रेणी है। नियुक्तियाँ देने के उद्देश्य से एम.फिल/पी.एच.डी. जैसी शोध उपाधि वांछनीय योग्यता थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. गुरु घासी दास विश्वविद्यालय संशोधित अध्यादेश में योग्यता के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है:–

"ग. व्याख्याता:–

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 55% अंकों के साथ उस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और साथ ही जिस विषय के लिए आवेदन किया गया है उस विषय की स्नातक परीक्षा में कम से कम 50% अंक।

(2) विषय में डॉक्टरेट/एम.फिल की उपाधि।

परंतु चयन समिति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद को संबंधित विषय में असाधारण ख्याति रखने वाले विद्वानों के मामले में शिक्षण/अनुसंधान के हित में स्नातकोत्तर और स्नातक परीक्षाओं में

आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत को छोड़कर खण्ड–I एबीसी में निर्धारित किसी या सभी शर्तों को शिथिल करने की शक्ति होगी।"

6. उत्तरवादी क्रमांक–3 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कृष्ण कुमार, सहायक सचिव, मार्केट कमेटी, भिवानी, (हरियाणा) बनाम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला**[1] के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है, कि योग्यता रखने के लिए निर्णायक तिथि चयन के लिए आवेदन की तिथि है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक–3 दोनों के पास आवश्यक योग्यता थी, अर्थात संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ एम.ए., लेकिन उनके पास शोध उपाधि अर्थात एम.फिल/पी.एच.डी. नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक–3 का शैक्षणिक पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता की तुलना में राजनीति विज्ञान में बहुत बेहतर था और आवश्यक योग्यता का अर्थ उत्कृष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि है। विद्वान अधिवक्ता ने अनुलग्नक– आर–3/23 में याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक–3 की तुलनात्मक शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को दर्शाने वाला एक चार्ट प्रस्तुत किया है, जिसे निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सरल क्रमांक	स्तर	उत्तरवादी क्रमांक–3	याचिकाकर्ता
1.	उच्चतर माध्यमिक	कुल 78%, कला संकाय की प्रावीण्य सूची में म.प्र. राज्य में प्रथम श्रेणी, संबंधित विषय 'नागरिक शास्त्र' में 82.5% अंक के साथ	50% से कम विज्ञान विषय के साथ
2.	स्नातक	65.3% के साथ प्रथम श्रेणी, विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में तीसरा स्थान, संबंधित	विज्ञान विषयों के साथ पूरक

1 (1997) 4 S.C.C. 577

3.	स्नातकोत्तर	65.3% के साथ प्रथम श्रेणी, विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में तीसरा स्थान,	62% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी, विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में दसवां स्थान
4.	अनुसंधान	i) एम.ए. लघु शोध प्रबंध। (ii) एम.फिल. के दौरान वांछित क्षेत्र, अर्थात समाज के कमजोर वर्गों, खासकर आदिवासी वर्ग पर शोध किया। बाद में, इस शोध कार्य के आधार पर, एम.फिल. पूरा करने के एक वर्ष के भीतर दो शोध पत्र प्रकाशित/प्रस्तुत किए और एक शोध पत्र प्रकाशन हेतु प्रेषित किया। एम.फिल. के दौरान, आदिवासी विकास को एक विशेष विषय के रूप में चयन किया और विज्ञापन में उन लोगों को प्राथमिकता दी गई जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से आदिवासियों से संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन किया था। (योग्यता के रूप में, जून 1993 में आदिवासियों के अध्ययन से संबंधित क्षेत्रों में पी.एच.डी. की उपाधि भी प्रदान की गई)।	स्नातकोत्तर स्तर पर शोध कार्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि केवल एम.ए. पूर्व में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ही शोध कार्य करने की अनुमति थी और वह केवल 52% अंक ही प्राप्त कर सके। दिनांक 26.8.88 को पी.एच.डी. की उपाधि प्रदान की गई, जो विज्ञापनों में वांछनीय योग्यता में नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इस याचिका को प्रस्तुत करने में अस्पष्ट और अत्यधिक विलंब हुई है, इसलिए यह याचिका विलंब के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा ज**गदीश नारायण**

मलटियार बनाम बिहार राज्य और अन्य[2], **और पी.एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य**[3] के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है।

8. उत्तरवादी क्रमांक–1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव ने उत्तरवादी क्रमांक–3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्कों का समर्थन किया है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिवचनों के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया।

10. याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक–3 और अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ दिनांक 08.02.1988 के विज्ञापन (अनुलग्नक–आर/1) के अनुसार आवेदन किया था, न कि दिनांक 15.05.1986 के विज्ञापन (अनुलग्नक– पी/5) के अनुसार, जैसा कि याचिकाकर्ता ने तर्क किया है। दिनांक 08.02.1988 के विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यता निम्नानुसार है:–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

योग्यता:

क) अनिवार्य : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक, रीडर और व्याख्याता के लिए निर्धारित।

ख) वांछनीय :

1) <u>मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान में प्राध्यापक और व्याख्याता के लिए</u>:–

समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर आदिवासी, हरिजन और महिलाओं और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता या अनुभव या अनुसंधान और अध्ययन रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

---
2 AIR 1973 SC 1343
3 AIR 1974 SC 2271

11. दिनांक 8.2.1988 के विज्ञापन के प्रकाशित होने से पहले, उत्तरवादी/विश्वविद्यालय सहित राज्य सरकार ने मेहरोत्रा समिति द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमान को अपनाया था, जिसमें 2200–4000 रुपये के वेतनमान में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता कम से कम 55% अंकों के साथ निरंतर उत्कृष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि था और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समकक्ष श्रेणी है। शोध उपाधि यानी पी.एच.डी./एम.फिल वांछनीय योग्यता थी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन की योजना–1986 और उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के लिए अन्य उपायों के संबंध में दिनांक 17.06.1987 (अनुलग्नक– आर–3/15) के पत्र के परिशिष्ट में दिए गए स्पष्टीकरण से भी यह स्पष्ट है कि व्याख्याता भी रुपये 3000–5000 के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे यदि उन्होंने :–

(क) नियमित नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या रुपये 2800/– का मूल वेतन प्राप्त कर लिया हो, जो भी पहले हो;

(ख) एम.फिल. या पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की हो, जैसा भी मामला हो, या उसके नाम में समकक्ष स्तर का शोध कार्य हो;

(ग) कम से कम चार सप्ताह की अवधि वाले दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन संस्थान में भाग लिया हो और

(घ) लगातार संतोषजनक प्रदर्शन प्रतिवेदन।

यह अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा जारी विज्ञापनों से भी स्पष्ट होता है। इसलिए, पी.एच.डी./एम.फिल उपाधि होना वेतन वृद्धि और बेहतर वेतनमान पाने के लिए एक आवश्यक योग्यता है, न कि व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता। स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक–3 के पास आवेदन करने के समय अर्थात 07.03.1988 से पहले व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता थी, लेकिन उत्तरवादी क्रमांक–3 की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बेहतर था, क्योंकि उसके पास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में 78% अंक हैं जिसमें संबंधित विषय में 82.5% अंक हैं, स्नातक में 63.5% अंक हैं जिसमें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संबंधित विषय में 70% अंक हैं और स्नातकोत्तर में 65.3% अंक हैं, जबकि याचिकाकर्ता के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में विज्ञान विषय में 50 से कम अंक, स्नातक में विज्ञान विषय में 57% अंक हैं और स्नातकोत्तर में 62% अंक थे। उत्तरवादी क्रमांक–3 का अनुसंधान कार्य याचिकाकर्ता से बेहतर था। ऐसा प्रतीत होता है कि चयन समिति ने नियुक्ति के लिए उत्तरवादी क्रमांक–3 का चयन करने से पहले दोनों उम्मीदवारों के संपूर्ण शैक्षणिक पृष्ठभूमि की जांच की है। चयन प्रक्रिया और उसके बाद विषय के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए परिणामों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रमेश कुमार चौधा एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य**[4] के मामले में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त योग्यता, उम्मीदवार को अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता के आधार पर विचार किए जाने हेतु हकदार नहीं बनाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दलपत आबासाहेब सोलुनके वगैरह बनाम डॉ. बी.एस. महाजन वगैरह**[5] के मामले की कंडिका–9 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया :–

> "9. ....इस बात पर जोर देना अनावश्यक है कि चयन समितियों के निर्णयों पर अपील सुनना तथा उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करना न्यायालय का कार्य नहीं है। कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसका निर्णय विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके पास उस विषय पर विशेषज्ञता है। न्यायालय के पास ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है। चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे कि समिति के गठन में अवैधता या प्रत्यक्ष अनियमितता या चयन को प्रभावित करने वाली इसकी प्रक्रिया, या चयन को प्रभावित करने वाली सिद्ध दुर्भावना आदि। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामले में विश्वविद्यालय ने सुसंगत विधियों के अनुपालन में समिति का

---
4 (1996) 11 S.C.C. 242
5 AIR 1990 S.C. 434

गठन किया था। समिति में विशेषज्ञ शामिल थे तथा इसने अपने समक्ष सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात उम्मीदवारों का चयन किया। इस प्रकार किए गए चयन पर अपील करने तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित उम्मीदवारों की तथाकथित तुलनात्मक योग्यता के आधार पर इसे निरस्त करने में, उच्च न्यायालय ने त्रुटि कारित किया तथा अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया।"

14. उपर्युक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, वाद कारण उत्पन्न होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद इस याचिका को प्रस्तुत करने के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

15. उपरोक्त कारणों और पूर्वोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय के प्रामाणिक निर्णयों के आधार पर, याचिका निरस्त की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/——
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Ashwani Shukla, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur